

17/11/18

न्यायिक न्याय
मोहट जिला- सिण्ड (म)

आवेदिकाओं को | आवेदिका की ओर-
से कोई अधि-मी उप- नहीं।

- आवेदिका एवं उसके अधिवक्ता
की न्यायालय कक्ष के बाहर बार-2
पुकार लगावार् गर, परंतु कोई उप-
नहीं हुआ।

अधीनस्थ द्वारा अधि-मी योग-3 आवेदिका
उप-।

~~आवेदिका~~ पुकारता आज आवेदिका
साक्ष्य एवं नियत है। आवेदिका की
आवेदिका उप- नहीं है। आवेदिका की
ओर से कोई अधिवक्ता भी न्यायालय
में उप- नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है
कि आवेदिका उक्त आवेदन की अर्ज
नहीं चलाया चाहती है।

अतः प्रस्तुत आवेदन आवेदिका
की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है।
पुकार का परिणाम उप- का
पुकार की प्रतीति के लिए है।